

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम्बर 14, 2025 Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2024

संख्या प.2(2)नाउ/2018 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उत्तरलाई (बाड़मेर) एयरपोर्ट पर नवीन स्थायी सिविल एनक्लेव की स्थापना तथा एप्रोच रोड के लिए आवश्यक कुल 64.43 एकड़ भूमि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण को आवंटित किए जाने हेतु कुल भूमि में सम्मिलित 62.96 एकड़ निजी भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(19)rev-6/24/17 दिनांक 26.07.2024 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

नीतू राजेश्वर,
संयुक्त शासन सचिव।

विवरण

उत्तरलाई(बाड़मेर) में प्रस्तावित नवीन सिविल एनक्लेव एवं नवीन सिविल एनक्लेव को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 से जोड़ने हेतु एप्रोच रोड निर्माण हेतु अवाप्त होने वाली भूमि की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव-

क्र.सं.	तहसील	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित रकबा	भूमि की किस्म
---------	-------	---------------------	-------------	------------------------------	---------------

				हैक्टेयर में	
1	बाड़मेर ग्रामीण	चकलानी	37 / 4	2.4119	बारानी दोयम
2			67 / 4	0.1214	बारानी दोयम
3			5	17.7009	बारानी दोयम
4			81 / 13	0.4532	बारानी दोयम
5			51 / 16	0.0647	बारानी दोयम
6			55 / 21	0.8013	बारानी दोयम
7			24	0.2023	बारानी दोयम
8			57 / 29	0.3885	बारानी दोयम
9			101 / 34	0.3885	बारानी दोयम
10	बाड़मेर ग्रामीण	लालाणियों की ढाणी	889 / 385	0.1295	बारानी दोयम
11			880 / 385	0.0324	बारानी दोयम
12			891 / 385	0.0405	बारानी दोयम
13	बाड़मेर ग्रामीण	बेरीवाला गांव	661 / 9	0.3237	बारानी दोयम
14			647 / 15	0.5827	बारानी दोयम
15			846 / 17	0.0323	बारानी दोयम
16			840 / 17	0.1942	बारानी दोयम
17			849 / 17	0.1295	बारानी दोयम
18			854 / 18	0.1699	बारानी दोयम
19			851 / 18	0.1295	बारानी दोयम
20			855 / 18	0.2023	बारानी दोयम
21			890 / 18	0.1376	बारानी दोयम
22			892 / 18	0.1457	बारानी दोयम
23			893 / 18	0.0809	बारानी दोयम
24			676 / 26	0.0324	बारानी अक्वल
25			752 / 629	0.5827	बारानी अक्वल
कुल भूमि हैक्टेयर में				25.4785	

फार्म-2

(देखिए नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान, जयपुर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के	उत्तरलाई(बाड़मेर) में प्रस्तावित नवीन सिविल एनक्लेव एवं नवीन

	अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	सिविल एनक्लेव को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 से जोड़ने हेतु एप्रोच रोड़ निर्माण हेतु 25.4785 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित हैं
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/या भूस्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं हैं।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिति के साथ अनेचल परिणाम(सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आप्य का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हां
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।